



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 684 राँची, बुधवार,

23 अक्टूबर, 2024 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2024

सं०सं०-गव्य (स्था०-1) 37/09-1054--भारत के संविधान के अनुच्छेद -309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद्द्वारा, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, द्वारा अधिसूचित “केन्द्रीय परीक्षा नियमावली”, “झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016” तथा “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017” (समय-समय पर यथा संशोधित) के आलोक में, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड द्वारा अधिसूचित “झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012” (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- I. यह नियमावली “झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग (तृतीय संशोधन) नियमावली-2024” कहलाएगी।
- II. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- III. यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. 'झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012' (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-3 नियम-8- 'सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता/अहर्ताएँ' में निम्नवत प्रावधान है:-

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डेयरी टेक्नोलॉजी/डेयरी (गव्य) विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता की अनिवार्यता होगी।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

उक्त प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डेयरी टेक्नोलॉजी/डेयरी (गव्य) विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता की अनिवार्यता होगी।”

3. 'झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012' (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-3 नियम-7- 'सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया' में निम्नवत प्रावधान है:- सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया:- इस संवर्ग के मौलिक पदों (गव्य तकनीकी पदाधिकारी एवं समकक्ष पद) पर शत-प्रतिशत सीधी नियुक्ति झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षा एवं परीक्षाफल के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आलोक में सक्षम प्राधिकार/विभागीय सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा की जायेगी।”

उक्त प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“(i) सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया:- इस संवर्ग के मौलिक पदों (गव्य तकनीकी पदाधिकारी एवं समकक्ष पद) पर शत-प्रतिशत सीधी नियुक्ति झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षा एवं परीक्षाफल के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आलोक में सक्षम प्राधिकार/विभागीय सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा की जायेगी।”

“(ii) झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग के मौलिक पद (गव्य तकनीकी पदाधिकारी) पर सीधी नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन ‘झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विषिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017’ (समय-समय पर यथा संशोधित के अनुरूप किया जाएगा।”

4. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के अन्तर्गत झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 के अध्याय- 6 (विविध), नियम- 21 के उपनियम- 21(1) में निम्नवत् प्रावधान है:-

“कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना सं०- 3371 दिनांक 18.06.2003 के भाग- 1 नियम(III) के अन्तर्गत विभाग द्वारा तैयार विभागीय परीक्षा नियमावली में विहित परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। यह नियमावली विभाग द्वारा यथा समय तैयार कर ली जायेगी।”

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत् उप-नियम 21(1)(क, ख, ग एवं घ) के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(क) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची के द्वारा हिन्दी एवं लेखा विषय के परीक्षा का आयोजन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या- 3371 दिनांक 18.06.2003 के द्वारा प्रवृत्त केन्द्रीय परीक्षा नियमावली के भाग- I (सभी राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए प्रयोज्य) के नियम- 13 (iii) के आलोक में उक्त विषयों का परीक्षा केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची के द्वारा निम्नवत् आयोजित किया जाएगा-

क्र०	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समयअवधि
i.	हिन्दी (लिखित)	200	120	03घंटा
	हिन्दी (मौखिक)	100	60	-
ii.	लेखा (पुस्तकरहित)	100	50	1:30 घंटा
iii.	लेखा (पुस्तकसहित)	100	50	1:30 घंटा

(ख) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची के द्वारा अराजपत्रित एवं राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए प्रयोज्य “जनजातीय भाषा” विषय (लिखित एवं मौखिक) का पाठ्यक्रम, पूर्णांक, उत्तीर्णांक केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची की विभागीय परीक्षा नियमावली- 2003 की Part-II, कण्डिका- 15(i)(f) एवं Appendix- III तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 7/वि०वि०प०-27/2002 का०-1794, राँची, दिनांक- 04.04.2007 के आलोक में निम्नवत् आयोजित किया जाएगा -

क्र०	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समय अवधि
i.	जनजातीय भाषा (लिखित) संथाली/मुण्डारी/उराँव/हो	100	60 (उच्चस्तर) 50 (निम्नस्तर)	03 घंटा
ii.	जनजातीय भाषा (मौखिक) संथाली/मुण्डारी/उराँव/हो	100	60 (उच्चस्तर) 50 (निम्नस्तर)	-

(i) झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग के अराजपत्रित कोटि (गव्य तकनीकी पदाधिकारी) अथवा राजपत्रित कोटि (जिला गव्य विकास पदाधिकारी एवं समकक्ष) के पदाधिकारियों को “जनजातीय भाषा” विषय (लिखित एवं मौखिक) की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। परन्तु यह कि झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग के पदाधिकारी जो अराजपत्रित कोटि (गव्य तकनीकी पदाधिकारी) में “जनजातीय भाषा” विषय (लिखित एवं मौखिक) की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें प्रोन्नति उपरान्त राजपत्रित कोटि (जिला गव्य विकास पदाधिकारी एवं समकक्ष) में पुनः उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी।

(ग) “विकास” विषय का परीक्षा केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसका पाठ्यक्रम निम्नवत होगा -

Syllabus for Development (with books)

A. History of Dairy Development in India-

30 Marks

- White revolution (Operation Flood)
- Establishment of NDDB
- Establishment of Dairy Society and Dairy Co-operative in India.

B. Act, Rules and Regulation of milk and milk products-

30 Marks

- FSSAI Rules and regulation for milk and milk products
- BIS standards of butter and Ghee
- NDDB Act 1987 (37 of 1987)

C. Market milk-

50 Marks

- Definition of milk, fermented milk, condensed milk, evaporated milk, whey, ice-cream, pasteurization, homogenization, sterilization, UHT milk, reconstituted milk, recombined milk and flavoured milk.
- Procedure of clean milk production.
- Procedure and manufacturing flow chart of Pasteurized milk, Dahi, Paneer, Cream, Butter, Ghee and Powder.
- Maintaining of plant hygiene and HACCP.
- Standardization of milk.

D. Breeding policy in India-**20 Marks**

- Types of Indigenous and cross breeds in India.
- Artificial Insemination

E. Testing of milk and milk products-**40 Marks**

- Adulteration Test
- Organoleptic Test
- Acidity Test
- Estimation of fat (Gerber method) and SNF (Lactometer reading)

F. State and Centrally sponsored schemes for dairy development - 30 Marks

- Current effective state scheme
- Current effective central scheme

विकास विषय परीक्षा का पूर्णांक/उत्तीर्णांक/समयावधि निम्नवत होगा :-

क्र०	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समय अवधि
i.	विकास (पुस्तक सहित)	200	100	03 घंटा

(ग) “कम्प्यूटर” विषयका परीक्षा केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसका पाठ्यक्रम निम्नवत होगा -

Syllabus for functional knowledge of Computers (with books)**COMPUTER MICROSOFT WORD, EXCEL PROGRAMMES, COMPUTER ACCOUNTING, INTERNET BROWSING AND E-MAIL PROCEDURES**

A. Fluency in typing letter in Microsoft Word (Hindi & English), and create/save it in folder.

30 Marks

B. Browsing of the official website of Jharkhand State and downloading of the departmental Acts & Rules, Sankalp, Notice & Notifications and saving them in a folder.

30 Marks

C. Opening (login) of E-mail, downloading of attachment and saving them into a folder, attached the letter and send it through E-mail and E-mail forwarding etc.

30 Marks

D. The ability to use all the features of Microsoft Programme.

30 Marks

E. Ability to create development statistics in excel file. The use of excel file will also include-

50 Marks

- Creation of tables and spreadsheets.
- Addition, Subtraction, multiplication, division etc.
- Drawing graphs using the excel data.

F. Ability to prepare a Power Point Presentation.

30 Marks

कम्प्यूटर विषय परीक्षा का पूर्णांक/उत्तीर्णांक/समयावधि निम्नवत होगा:-

क्र०	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समय अवधि
i.	कम्प्यूटर (पुस्तक सहित)	200	100	03घंटा

5. 'झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)नियमावली, 2012' के अध्याय-6- 'विविध', नियम-24 में निम्नांकित प्रावधान है:-

“अनुशासनिक कार्रवाई:- संवर्ग के सदस्यों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई, असैनिक सेवार्यें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवार्यें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 के द्वारा नियंत्रित होगी।”

6. उक्त प्रावधान को निम्नवत प्रावधान है से प्रतिस्थापित किया जाता है -

“अनुशासनिक कार्रवाई :- संवर्ग के सदस्यों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई, झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016' (समय-समय पर यथा संशोधित) के द्वारा नियंत्रित होगी ।”

7. “झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012” (समय-समय पर यथा संशोधित) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत रहेंगे ।

8. 'झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग (तृतीय संशोधन) नियमावली-2024' के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-06.09.2024 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-33 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबकर सिद्दीख पी०,
सरकार के सचिव ।
